न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 191/2016

1. गुरबचनसिह } पिसरान ठाकरराम जाति बावरी निवासीगण कोनी तहसील व
2. लालराम } जिला श्रीगंगानगर —अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र जुमाराम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सतनामसिंह पुत्र जुमाराम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जगीरकौर पुत्री जुमाराम पत्नी कालासिंह जाति बावरी निवासी जवाएवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. भागो बाई पुत्री जुमाराम पत्नी डुक्कन जाति बावरी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
6. किशनोबाई पत्नी ठाकरराम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. सीतोबाई पुत्री ठाकरराम पत्नी जगराम जाति बावरी निवासी बजू जिला बीकानेर।
8. रज्जो बाई पुत्री ठाकरराम पत्नी अमरजीतसिंह जाति बावरी निवासी 9 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. प्रतापकौर पुत्री ठाकरराम पत्नी नारायणसिंह जाति बावरी निवासी 9 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 18.10.2016

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितः–

श्री गुरप्रीतसिंह, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजकुमार नागपाल अभिभाषक रेस्पों.सं0 1 व 2

श्री गुरप्रीतसिंह सेखो अभिभाषक रेस्पो सं0 7 से 9

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 11.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/ अपीलांट्स ने एक वाद अधी.न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह चक 4पी बड़ी के खाता सं0 95/89 मु0न0 39 के 25 बीघा भूमि को किसी को रहन व मुन्तकिली नहीं करे एवं वादीगण को 12.10 बीघा भूमि से बेदखल नहीं करें ।

अप्रार्थी सं0 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 18.10.2016 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का हर प्रकार से मामला बनता था फिर भी अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। यदि वाद के निर्णय से पूर्व भूमि का बेचान हो जाता है तो वादीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

था। अधी0 न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः अपील खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपीलांट ने विवादित भूमि में अपना 12.10 बीघा हिस्सा होना बताया है किन्तु यह हक व हिस्सा किस प्रकार से बनता है यह न तो अधी. न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में स्पष्ट किया है जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह माना जा सके कि विवादित भूमि में प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का भूमि में कोई हक व हिस्सा बनता है। अधी.न्यायालय ने प्रा.पत्र 212 आर.टी.ए. के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला . सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर